

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04/RAY-28/2014- 422 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक- 23/12/11

कार्यालय आदेश सं0-123 सह पठित ज्ञापांक-2211 दिनांक-22.04.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में प्रथम किस्त आवंटित की जा चुकी है, उसी क्रम में नगर निगम, गया को आवास मद में राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु0) मात्र की स्वीकृति योजना की कार्यान्वयन हेतु दी जाती है। संबंधित गया नगर निगम के नाम के सम्मुख स्तम्भ 6 में अंकित राशि निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	प्रथम किस्त के रूप में आवास एवं आधारभूत संरचना मद में कुल विमुक्त राशि	द्वितीय किस्त के रूप में आवास मद में स्वीकृत राशि	(राशि लाख रु0 में) आवास एवं आधारभूत संरचना में मद में अब तक कुल विमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम गया	गया फेज-I	7589.80	1253.12	1000.00	2253.12

- अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 06 में अंकित राशि संबंधित निकाय को योजना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जाय।
- योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरी है। अतः नगर आयुक्त, गया नगर निगम योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014- 5118 पटना, दिनांक- 23/12/11
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रतिलिपि:-लेखापाल बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014- 5118 पटना, दिनांक- 23/12/11
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, गया नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।